

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म0प्र0)
क्र. 1618 /2024 रीवा, दिनांक 24.07.2024

सूचना

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के ओदश क्रमांक/546/73/सी.सी./24/अड़तीस, भोपाल दिनांक 22.07.2024 के निर्देशानुसार स्नातक चतुर्थ वर्ष में प्रवेश नवीनीकरण के संबंध में जारी निर्देश के अनुसार पात्र छात्र/छात्रायें स्नातक चतुर्थ वर्ष प्रवेश की कार्यवाही 15 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न -

1. स्नातक चतुर्थ वर्ष में प्रवेश नवीनीकरण के संबंध में जारी निर्देश।

पृष्ठांकन क्रमांक 1619

/2024

१/८ प्राचार्य
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय
रीवा (म0प्र0)

रीवा, दिनांक 24/7/24

प्रतिलिपि :-

1. प्रभारी ई-मेल एवं वेबसाइट, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा।
2. ~~समस्त विभाग~~ नियंत्रक, परीक्षा विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा।
3. संयोजक (प्रवेश), शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा।

१/८ प्राचार्य
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय
रीवा (म0प्र0)

Dr. Achyut Pandey
24/7/24

1638
24/7/24

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 22/07/2024

क्रमांक/ 546/73/सी.सी./24/अडवीन

प्रति,

1. कुलसचिव
समस्त शासकीय विश्वविद्यालय
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश।
2. प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अशासकीय अनुदान प्राप्त/अशासकीय महाविद्यालय,
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश।

विषय:- स्नातक चतुर्थ वर्ष में प्रवेश प्रदान किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश।


-0-

विषयांतरगत स्नातक चतुर्थ वर्ष में प्रवेश नवीनीकरण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं:-

1. विद्यार्थी स्नातक चतुर्थ वर्ष हेतु एम.पी.ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रवेश नवीनीकरण कर सकते हैं।
2. स्नातक (चतुर्थ वर्ष) के संबंध में दो विकल्प होंगे
(i) स्नातक चतुर्थ वर्ष आनर्स (सभी तृतीय वर्ष उत्तीर्ण विद्यार्थी एवं 120 क्रेडिट अर्जित विद्यार्थी)
(ii) स्नातक चतुर्थ वर्ष आनर्स विथ रिसर्च (केवल 7.5 सी.जी.पी.ए. से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे)
(iii) विद्यार्थी केवल मेजर विषय में ही प्रवेश ले सकेंगे।
(iv) स्नातक चतुर्थ वर्ष आनर्स/आनर्स विथ रिसर्च में प्रवेश अध्ययनरत महाविद्यालय में ही लिया जा सकेगा।
(v) स्नातक चतुर्थ वर्ष आनर्स/ आनर्स विथ रिसर्च का विकल्प महाविद्यालय में न मिलने की दशा में जिला अंतर्गत निकट के अन्य महाविद्यालय में प्रवेश ले सकेंगे।
(vi) जिन विषयों में जिले के अंतर्गत महाविद्यालयों में आनर्स विथ रिसर्च न होने की दशा में प्रदेश के अन्य महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में प्रदेश ले सकेंगे।
(vii) विकल्प चयन करने के उपरांत विद्यार्थी को संबंधित महाविद्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।

- (viii) महाविद्यालयों द्वारा सत्यापन उपरान्त प्रवेश शुल्क हेतु लिंक एनिसियेट की जायेगी।
- (ix) लिंक एनिसियेट होने पर विद्यार्थी निर्धारित समय सीमा में प्रवेश शुल्क जमा करेंगे।
- (x) स्नातक तृतीय वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार स्नातक चतुर्थ वर्ष की प्रवेश की कार्यवाही आगामी 15 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।



(वीरन सिंह भलावी)

अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 22/07/2024

क्रमांक/ 547/73/सी.सी./24/अडतीस
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक मान. मंत्री जी, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
2. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
3. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल।
4. निज सहायक, कुलगुरु (समस्त) विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
6. सी.ई.ओ., एम.पी.ऑनलाइन, भोपाल की ओर उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. प्रभारी आई.टी.सेल., उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग,